ACM आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

रक्षा (नाबा) बनाम शरीफ वेद

न्यायालय

संख्या 68/24 PR

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5-6-2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी-6 की ओर से प्रा०पत्र वाद अपूर्ण होने से खारिज बाबत पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रा०पत्र हेतु दिनांक 12/6/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर	
	12-6-25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र.उप.। प्रार्थी, प्रार्थना का जवाब/बहस करे। पत्रावली दिनांक 18-6-25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर	
	18-6-25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र.उ.। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रा०पत्र हेतु दिनांक 20-6-25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर	
	20-6-2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०प्र०उप०। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों के आधार पर ... जाता है विस्तृत ... लिखवाया गया। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 68/2024

रक्षा सोमानी पुत्री आशीष सोमानी जाति महाजन निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू हाल निवासी 1/332, विद्याधर नगर, जिला जयपुर।

–प्रार्थीया

बनाम

1. राजीव बैद पुत्र जोधराज बैद जाति महाजन निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जयपुर।
2. कालूराम पुत्र भूरा जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर।
3. किशनलाल पुत्र हनुमान जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र सूण्डाराम जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर
5. नाथूलाल पुत्र सूण्डाराम जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर
6. पुष्पा चौधरी पत्नी नृसिंहलाल जाति जाट निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जयपुर
7. बंशीधर पुत्र सूण्डाराम जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर
8. बिरदा पुत्र भूरा जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर
9. मालीराम पुत्र हनुमान जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर
10. रामकुवांर पुत्र तुलसा जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर
11. रामकिशोर पुत्र सूण्डाराम जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर
12. श्रवण पुत्र भूरा जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर
13. प्रभुदयाल पुत्र नानूराम जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर।
14. गोपाल पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुराखुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील जालसू, जिला जयपुर
16. उप पंजीयक, तहसील जालसू, जिला जयपुर

.......अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:29 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 25.06.2025

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम प्रतापुराखुर्द पटवार क्षेत्र जयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 64 व पुराना खाता संख्या 61 के

खसरा नम्बर 10 रकबा 1.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 1.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 1.2900 हैक्टेयर, कुल किता 4 रकबा 4.8300 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अर्न्तगत दर्ज इन्द्राज के अनुसार उक्त खसरो की भूमि मे प्रार्थीया का 56/321 हिस्सा निहित है। व खाता संख्या नया 111 व पुराना खाता संख्या 63 के खसरा नम्बर 397 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 1.1900 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अर्न्तगत दर्ज इन्द्राज के अनुसार उक्त खसरो की भूमि मे प्रार्थीया का 25/657 हिस्सा निहित है। व खाता संख्या नया 63 व पुराना खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर 140 रकबा 1.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रक़बा 1.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164/452 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/453 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, कुल किता 5 रकबा 3.1000 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अर्न्तगत दर्ज इन्द्राज के अनुसार उक्त खसरो की भूमि में प्रार्थीया का 25/657 हिस्सा निहित है। व खाता संख्या नया 4 व पुराना खाता संख्या 60 के खसरा नम्बर 135/415 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 1.3900 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 2.3100 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अर्न्तगत दर्ज इन्द्राज के अनुसार उक्त खसरो की भूमि मे प्रार्थीया का 25/657 हिस्सा निहित है। तथा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज एंव अंकित चला आ रहा है। नया खाता संख्या 4 पुराना 60 के हाल खसरा नम्बर 135/415, 136, 137 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3100 हैक्टेयर व खाता सख्या नया 63 पुराना 59 के हाल खसरा नम्बर 140, 154, 164/452, 165, 169/453 कुल किता 5 कुल रकबा 3.1000 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 111 पुराना 63 के हाल खसरा नम्बर 397, 398 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1900 हैक्टेयर मे उदाराम पुत्र तेजाराम व चंदाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम हातौज तहसील जयपुर जिला जयपुर ने उक्त तीनो खातो मे अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को कर दिया है। जिसका नामान्तरण नही खुला है। जिससे इसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे नही होने से इनको पक्षकार न बनाकर अप्रार्थी सख्या 1 को पक्षकार बनाया है। प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित खातो की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्ड से काश्तकार की हैसियत से मनबट के आधार पर चारो खातो मे अपने हिस्से मे आई रकबा भूमि खाता संख्या नया 64 व पुराना 61 के खसरा नम्बर 10, 7, 8, 9 कुल किता 4 कुल रकबा 4.8300 है. मे से खसरा नम्बर 9 की भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा सभी खातो मे दर्ज प्रार्थीया के हिस्से की भूमि का मनबट के आधार पर विभाजन कर पूर्वखातेदारो द्वारा प्रार्थीया को चारो खातो मे अपने हिस्से में आई भूमि का खसरा नम्बर 9 पर कब्जा सम्भला रखा है उसी आधार पर प्रार्थीया का इस खसरा नम्बर पर कब्जा है तथा काश्त करती चली आ रही है। मनबट व कब्जे के आधार पर प्रार्थीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कब्जे काश्त के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:29 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर विभाजन किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि राजस्व ग्राम प्रतापुराखुर्द पटवार क्षेत्र जयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 64 व पुराना खाता संख्या 61 के खसरा नम्बर 10 रकबा 1. 2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 1. 1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 1.2900 हैक्टेयर, कुल किता 4 रकबा 4.8300 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अर्न्तगत दर्ज इन्द्राज के अनुसार उक्त खसरो की भूमि मे प्रार्थीया का 56/321 हिस्सा निहित है। व खाता संख्या नया 111 व पुराना खाता संख्या 63 के खसरा नम्बर 397 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 1.1900 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अर्न्तगत दर्ज इन्द्राज के अनुसार उक्त खसरो की भूमि मे प्रार्थीया का 25/657 हिस्सा निहित है। व खाता संख्या नया 63 व पुराना खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर 140 रकबा 1.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 1.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164/452 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/453 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, कुल किता 5 रकबा 3.1000 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अर्न्तगत दर्ज इन्द्राज के अनुसार उक्त खसरो की भूमि मे प्रार्थीया का 25/657 हिस्सा निहित है। व खाता संख्या नया 4 व पुराना खाता संख्या 60 के खसरा नम्बर 135/415 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 1.3900 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 2.3100 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अर्न्तगत दर्ज इन्द्राज के अनुसार उक्त खसरो की भूमि में प्रार्थीया का 25/657 हिस्सा निहित है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7 व 11 की ओर से जवाब पार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थनापत्र [illegible] वादिनी द्वारा झूठे तथ्यों पर वादपत्र प्रस्तुत करना मात्र स्वीकार है किन्तु उ[illegible] सप[illegible]ा प्राप्त होने की कोरी कल्पना मात्र ही है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–2 [illegible] वर्णित [illegible] राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–3 में व[illegible] के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–4 में वर्णित तथ्य स्वयं साबित करें उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवरा मनबट के आधार पर सभी पक्षकारो द्वारा कर काबिज काश्त चले आ रहे है। और कब्जे काश्त के आधार पर ही मिटस एण्ड बाउण्डस से तकासमा कराना चाहते है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–5 में

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:29 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित तथ्य जवाब के मोहताज नहीं है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–6 में वर्णित तथ्य प्रार्थीया स्वय सिद्ध करे, अप्रार्थी संख्या 4,5,7 व 11 मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा करना चाहते है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–7 में वर्णित तथ्य कई झूठे होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 4,5,7 व 11 विधिक विभाजन मिटस एण्ड बाउण्डस से करवाने हेतु सदैव तैयार है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–8 में वर्णित तथ्य कतई झूठे होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 4,5,7, व 11 मनबंट के आधार पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुये मिटस एण्ड बाउण्डस नियम 18 से 21 के अनुसार तकासमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थनापत्र का मद नम्बर–9 में वर्णित तथ्य कतई झूठे होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 4,5,7, व 11 मनबंट के आधार पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुये मिटस एण्ड बाउण्डस नियम 18 से 21 के अनुसार तकासमा करवाने हेतु तैयार है। अतः अप्रार्थी संख्या 4,5,7 व 11 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सविनय निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो का मनबट के आधार पर कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होने से तथा अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता को बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने जाहिर किया है कि सभी खातो मे दर्ज प्रार्थीया के हिस्से की भूमि का मनबट के आधार पर विभाजन कर पूर्व खातेदारो द्वारा प्रार्थीया को चारो खातो मे अपने हिस्से में आई भूमि का खसरा नम्बर 9 पर कब्जा सम्भला रखा है उसी आधार पर प्रार्थीया का इस खसरा नम्बर पर कब्जा है तथा काश्त करती चली आ रही है। तथा उसी अनुसार मनबट के अनुसार सभी पक्षकारान काबिज काश्त है। जब सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से में मनबट अनुसार काबिज काश्त है तो प्रार्थीया तो अपूरणीय क्षति नहीं हो सकती है। क्योकि सभी सहखातेदारान का अपने अपने हिस्से अनुसार हिस्सा निहित है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला, अपुरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थीया के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:47:29 IST
Reason: Self-Attested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर